न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 11/2024 **दायर दिनांकः 29.10.2024**

उनवान

1. बाबूलाल आयु 65 वर्ष पुत्र गणपत जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मो.नं. 7726063588, 9571690323

प्रार्थी

बनाम

1. सुशीलाबाई आयु 46 वर्ष पत्नि हंसराज मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू
2. हंसराज आयु 48 वर्ष पुत्र बद्रीलाल जाति मीणा निवासी ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज०)
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज०)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

प्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा

अप्रार्थीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री गौरव हाडा

निर्णय दिनाकः 30.06.2025

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) के खाता संख्या 297 के ख0नं0 1463 रकबा 0.37 है०, ख0नं0 1496 रकबा 1.96 है०, ख०नं० 1499 रकबा 2.61 है० ख०नं० 1630 रकबा 1.49 है०, ख0नं0 1648 रकबा 0.29 है०, ख०नं० 1672 रकबा 0.19 है०, ख0नं0 1673 रकबा 0.79 है०, ख०नं० 1679 रकबा 1.41 है0, ख0नं0 1686 रकबा 1.79 है०, ख0नं0 941 रकबा 0.28 है0 कुल किता 10 रकबा 11.18 है0 आराजी प्रार्थी के खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। वाके ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) के खाता संख्या 600 के ख0नं0 1938/940 रकबा 0.20 है० गे०मु० सडक व खाता संख्या 603 के ख0नं0 950 रकबा 0.92 है० गे०मु० रास्ता सार्वजनिक निर्माण

विभाग के खाते दर्ज हैं। खाता संख्या 555 के ख0नं0 940 रकबा 0.25 है० आराजी अप्रार्थी क्रम 1 के व खाता संख्या 278 का ख0नं0 939 रकबा 0.96 है० आराजी अप्रार्थी क्रम 2 के खाते दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2072 से 2075 व नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। प्रार्थी व अप्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी का नजरी नक्शा पेश किया जा रहा हैं। जिसमें ए से बी मार्क से प्रदर्शित स्थान का विवादित रास्ता बताया गया है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का एक भाग हैं। जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढा एवं समझा जावें। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित अपने कब्जे काश्त एवं खाते की आराजी ख0नं0 941 रकबा 0.28 है० पर आने जाने व हल कुली, बेलगाडी, ट्रेक्टर ट्रोली एवं अन्य कृषि यन्त्रो को लाने ले जाने के लिऐ मुख्य सडक के ख०नं० 1938/940 से ख0नं0 940 व ख0नं0 939 के मध्य की मेड पर होकर सलग्न मानचित्र मे ए.बी. स्थान पर होकर रास्ते के लिए अपने पूर्वजो के समय ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हैं। जिस रास्ते को अप्रार्थीगण ने ए मार्क से प्रदर्शित स्थान पर बन्द कर दिया हैं। जिसकी वजह से प्रार्थी अपनी आराजी ख0नं0 941 को हकाई जुताई व बीज बुवाई करने के लिए कृषि यन्त्र नही ले जा पा रहा है और प्रार्थी की आराजी ख0नं0 941 पर आने जाने का एक मात्र रास्ता ख0नं0 940 व ख0नं0 939 के मध्य की मेड ए. बी. मार्क से प्रदर्शित स्थान पर होकर ही हैं। जिसकी वजह से प्रार्थी की आराजी पडत रहने की सम्भावना हैं। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थी को अपने खाते की आराजी ख0नं0 941 पर आने जाने के लिए, हल कुली, बेलगाडी, कृषि यन्त्र लाने ले जाने के लिए ख०नं० 940 व ख0नं0 939 के मध्य की मेड पर होकर रास्ता अप्रार्थीगण से दिलाया जाना सम्भव नही हैं। यदि अप्रार्थीगण ने रास्ते को ए मार्क से प्रदर्शित स्थान पर बन्द करके रखा तो प्रार्थी की आराजी पडत रह जायगी जिसकी वजह से प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद मे अन्य प्रकार से होना सम्भव नही होगी। अस्तु प्रार्थी अप्रार्थीगण के ख०नं० 940 व ख०नं० 939 के मध्य की मेड पर होकर ए. बी. मार्क से प्रदर्शित स्थान पर होकर 15 फुट चौडा रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है जिसके लिए प्रार्थी अप्रार्थीगण को रास्ते के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि की डी.एल.सी. रेट के मुताबिक कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। विवादित आराजी एवं रास्ता वाके ग्राम एवं माल ढोटी तहसील अटरू जिला बारां (राज०) मे स्थित हैं। जिसका क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सत्य तथ्यो पर आधारित हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को ग्राम एवं माल ढोटी में अप्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी ख0नं0 940 व ख०नं० 939 के मध्य की मेड पर होकर ए. बी. मार्क से प्रदर्शित स्थान पर होकर 15 फुट चौडा रास्ता प्रार्थी के खेत ख0नं0 941 पर आने जाने एवं कृषि यन्त्र लाने ले जाने के लिए दिलाया जावें। नक्शा ट्रेस मे तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी 3 को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 मे आराजी खाते दर्ज होना स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 मे आराजी खाते दर्ज होना स्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं० 3 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 स्वीकार नही हैं। अपितु कथन है कि प्रार्थी अपने खेत ख0नं0 941 रकबा 0.28 है० आराजी पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 940 व 939 के मध्य की मेड पर होकर कभी भी नहीं रहा हैं। प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ख0नं0 937 से होकर अप्रार्थी क्रम 2 के ख0नं0 939 व अन्य काश्तकार के ख०नं० 942 के मध्य की मेड पर होकर रहा है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार हैं। अपितु कथन है कि अप्रार्थी 1 व 2 आपस मे पति पत्नि हैं। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के दोनो खेत ख0नं0 940 व 939 मौके पर एक खेत के रूप में स्थित हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 कानूनी हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 7 अस्वीकार हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 8 कानूनी हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 9 का जवाब बवक्त बहस मौखिक दिया जावेगा। यह कि प्रार्थना प्रार्थी अस्वीकार हैं तथा निम्नलिखित विशेष कथन पेश किए गए।

विशेष कथन

प्रार्थी के अपने खेत ख0नं0 941 रकबा 0.28 है० आराजी पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 940 व 939 के मध्य की मेड पर होकर कभी भी नही रहा हैं। प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ख0नं0 937 से होकर अप्रार्थी क्रम 2 के ख0नं0 939 व अन्य काश्तकार के ख0नं0 942 के मध्य की मेड पर होकर रहा हैं। इस वजह से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य हैं। यदि प्रार्थी अपने खेत ख0नं0 941 रकबा 0.28 है0 पर आने जाने का सुलभ एवं सुविधाजनक रास्ता सरकारी रोड ख0नं0 1938/940 से लेना चाहता है तो अप्रार्थी क्रम 1 के खेत ख0नं0 940 एवं अन्य काश्तकार के ख0नं0 949 के मध्य की मैड पर होकर ले सकता हैं।

रास्ता के लिये ली गई भूमि की एवज में अप्रार्थी क्रम 1 को भूमि देने पर ही रास्ता दिया जायेगा। प्रार्थी ख0नं0 949 के खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाकर ख0नं0 949 व 940 के मध्य की मेड पर होकर रास्ता लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किय जायेंगें।

अतः माननीय न्यायालय में अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0नं0 949 के खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाकर ख0नं0 949 व 940 के मध्य की मेड पर होकर रास्ता लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तथा ख०नं० 949 व 940 के मध्य की मेड पर होकर रास्ता लेने की एवज में अप्रार्थी क्रम 1 को भूमि के बदले भूमि दिलाई जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी क्रम 3 तहसीलदार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/2375 दिनांक 30.06.2025 से मौका रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम ग्राम व माल ढोटी की आराजी खाता संख्या 297 कुल 10 का रकबा 11.18 है0 जमीन खाते दर्ज है। प्रार्थी को ग्राम व माल ढोटी के ख0नं0 941 रकबा 0.28 है0 किस्म माल 2 के लगवा कोई राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही है जिसमें प्रार्थी को ख0नं0 941 में जाने में परेशानी आ रही है। प्रार्थी द्वारा ख0नं0 941 में जाने के लिए ख0नं0 939 व ख0नं0 940 के बीच मेड से 15 फीट का रास्ता चाहा है परन्तु ख0नं0 939 रकबा 0.96 है0 हंसराज पुत्र बद्रीलाल एवं ख0नं0 940 रकबा 0.25 है0 सुशिला बाई पत्नी हंसराज दर्ज है जो एक दूसरे के पति–पत्नी है। अतः प्रस्तावित रास्ते हेतु ख0नं0 940 रकबा 0.25 है0 में से ख0नं0 949 से लगता का नजरी नक्शा रास्ते हेतु पेश है। प्रस्तावित रास्ते का नक्शा लठ्ठा के अनुसार माप 48 मीटर लम्बा व 4.57 मीटर चौडा रास्ता यानि 219.39 वर्ग मीटर यानि 0.021936 है0 है।

अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दौहराते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी के खेत ख0नं0 941 का रकबा 0.28 है0 पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के ख0नं0 940 व ख0नं0 939 के मध्य मेड पर होकर पूर्वजो के समय से ही है। लेकिन अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है। जिसकी वजह से प्रार्थी को हकाई जुताई व बीज बुवाई करने के लिए कृषि यंत्र नही ले जा पा रहा है। जिससे प्रार्थी की आराजी पडत रहने की सम्भावना है। प्रार्थी रास्ते के उपयोग मे ली जाने वाली भूमि का मुआवजा राशि नियमानुसार जमा करवाने को तैयार हैं।

अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 द्वारा उक्त बहस का पूरजोर विरोध किया तथा कथन किया कि प्रार्थी के ख0नं0 941 रकबा 0.28 है० आराजी पर आने जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेत ख0नं0 940 व 939 के मध्य की मेड पर होकर कभी भी नही रहा हैं तथा कथन किया कि ख0नं0 940 की दूसरी सीमा से रास्ता देने में आपत्ति नही है।

अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी हैः–

- वैकल्पिक रास्ता नही होना
- रास्ते की नितान्त आवश्यकता होना
- सबसे लघुत्तम रास्ता होना

- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/2375 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम ढोटी के ख0नं0 941 तक पहुंच हेतु वर्तमान में कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः वैकल्पिक रास्ते का अभाव साबित होता है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/2375 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार प्रार्थी के खेत तक पहुंचने और कृषि उपकरणों को लाने ले जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। कृषि कार्य करने हेतु आवागमन व कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होती है। अतः रास्ते की नितान्त आवश्यकता साबित होती है।
- तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट पत्रांक/राजस्व/2025/2375 दिनांक 30.06.2025 के अनुसार प्रार्थी को अपने खातेदारी की कृषि आराजी ग्राम ढोटी के ख0नं0 941 तक पहुंचने हेतु ग्राम ढोटी के ख0नं0 940 से रास्ता दिया जावे तो रास्ते की लम्बाई 48 मीटर व चौडाई 4.57 मीटर होगी। ग्राम व माल ढोटी के खाता संख्या 278 के ख0नं0 939 का रकबा 0.96 है0 आराजी अप्रार्थी क्रम 2 हंसराज पुत्र बद्रीलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा ग्राम व माल ढोटी के खाता संख्या 555 के ख0नं0 940 का रकबा 0.25 है0 आराजी अप्रार्थीया क्रम 1 सुशिला बाई पत्नी हंसराज के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कि पति–पत्नी है। अतः बीच से रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण का खेत दो भागों में बंट जायेगा।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्राथी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–::<u>क्रियात्मक आदेश</u> ::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व खातेदारी की आराजी ग्राम ढोटी तहसील अटरू के खाता संख्या 297 के ख0नं0 941 आराजी तक पहुंच हेतु ग्राम ढोटी तहसील अटरू के खाता संख्या 555 के खसरा नं0 940 से 4.57 मीटर चौडा एवं 48 मीटर लम्बा यानी 219.36 वर्ग मीटर भूमि पर रास्ता कायम कर 0.021936 है0 भूमि की **DLC** दर की दुगनी राशि अप्रार्थीया क्रम 1 को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में गै0 मु0 रास्ता दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां